अनेक संभावनाओं और आशंकाओं से परिपूर्ण है, नई शिक्षा नीति का प्रस्तावित मसौदा।

डा. हरिवंश चतुर्वेदी
निदेशक, बिमटेक

तीन दशकों के बाद शिक्षा नीति को बदलने की कवायद शुरू हुई है। पिछली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तय हो पाई थी जिसमें कुछ फेर बदल के बाद 1992 में उसे लागू किया गया था। एनडीए सरकार ने 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद पूर्व कैबिनेट सचिव स्व. टीएसआर सुब्रहमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके उसे नये शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने का काम दिया था। इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को प्रस्तुत की गई थी किन्तु कुछ विवादों के कारण वह रिपोर्ट मंजूर नहीं हो पाई।

प्रकाश जावडेकर द्वारा 2017 में मानव संसाधन मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के बाद 24 जून, 2017 को डा. के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया और उसे फिर से नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। इस में ज्यादातर शिक्षा से जुड़े लोगों को सदस्य बनाया गया था जबकि पिछली कमेटी में नौकरशाहों की भरमार थी।

डा. कस्तूरी रंगन की समिति ने दिसंबर 15, 2018 को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर को सोंप दी। किन्तु 12वीं लोकसभा के चुनावों के कारण एनडीए सरकार ने इसके क्रियान्वयन को नई सरकार के गठन तक के लिये टाल दिया था। यह जाहिर है कि नई सरकार का पहले 100 दिनों का एजेंड़ा सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा चुनावों से पहले ही बना लिया गया था। अब लगता है कि अगले 2–3 माह में नई शिक्षा नीति के मसौदो को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

नई शिक्षा नीति को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कराने के लिये एनडीए सरकार को संभलकर चलना होगा। 1986 और 1992 में जब मौजूदा शिक्षा नीति तैयार हुई है और उसमें रद्दोबदल की गई, तब और अब की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में बहुत अंतर आ गया है। उस समय संसद और अधिकांश राज्य सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का अधिपत्य था। मध्यवर्ग और समाज का पिछड़ा तब का शिक्षा के प्रति जागरूक तो बन गया था किन्तु आज की तरह महत्वकांक्षी नहीं था।

आज देश के सामने एक बड़ा मौका आया है कि अगले दो–तीन दशकों तक शिक्षा से जुड़ी जो नीतियाँ लागू की जायेंगी, उन पर हर व्यक्ति को अपनी राय देने का मौका है। हमारे देश में करीब 35 करोड़ ऐसे नौनिहाल हैं जो कि स्कूल कालेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर कोई न कोई पढ़ाई कर रहे है। एक करोड़ से ज्यादा शिक्षकों के हाथों में ये जिम्मेदारी सोंची गई है। कि वे उन्हें उनकी भावीं जिंदगी और जीविकोपार्जन के लिये तैयार करें। क्या जिस नीति से देश की

एक चौथाई आबादी का भविष्य दांव पर लगा हो, उस पर एक व्यापक स्तरीय, राष्ट्रीय चर्चा न होकर सिर्फ सांसद, विधायक और गिने चुने बुद्धिजीवियों के विचार लेना है काफी होगा?

नई शिक्षा नीति के प्रारूप में ऐसे अनेक बिन्दु है, जिन पर व्यापक चर्चा की जरूरत हे। इस के लिये कुछ महिने में भी यह जानना संभव होगा कि नई नीति के प्रारूप में वे कौन से प्रस्ताव है जिन पर व्यापक सहमति है और वे कौन से मुद्दे हैं जो कि विवादास्पत हो सकते हैं।

एनडीए सरकार द्वारा नियुक्त डा. कस्तूरी रंगन कमेटी का कहना है कि उन्होंने इसे बनाने के लिये हर स्तर पर, हर वर्ग के लोगों और विशेषज्ञों से चर्चा की है। इस चर्चा को जमीनी सतर से उच्चस्तर तक सहभागी ढंग से चलाया गया है। यह भी कहा गया है कि गांव, प्रखन्द, तहसील, नगर पालिका, जिला और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर नागरिक को अपनी राय रखने का मौका दिया गया है कि देश की भावी शिक्षानीति कैसी हो?

नयी शिक्षा नीति के प्रारूप में कहा गया है कि इस को जिन मजबूत खम्बों पर खड़ा किया गया है, वे हैं सबके लिये उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। कस्तूरी रंगन कमेटी की एक बड़ी सिफारिश है कि मानव संसाधन मंत्रालय को फिर से शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया जाना चाहिये। स्कूली शिक्षा के लिये इस कमेटी का एक बड़ा सुझाव शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 का दायरा बढ़ा कर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों और युवाओं की शिक्षा को उस में शामिल करना है।

स्कूली शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ है। इस की दरो–दीवारें विविध कारणों से कमजोर होती गयी हैं। पिछले 32 वर्षों में कई कानून बनाये गये, सुधार किये गये और कार्यक्रम चलाये गये, किन्तु हमारी स्कूली शिक्षा प्राथमिक स्तर पर शतप्रतिशत दाखिले की उपलब्धी से आगे नहीं बढ़ पाई। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में 5+3+3+4 के शैक्षणिक फार्मूले के आधार पर स्कूली शिक्षा को चार खण्ड़ो में बांटा गया है, यथा फाउण्डेशन अवस्था (3–8 वर्ष), तैयारी अवस्था (8–11 वर्ष), मध्य अवस्था (11–14 वर्ष) और माध्यमिक अवस्था (14–18 वर्ष)। इस तरह अब स्कूली शिक्षा 12 वर्ष से बढ़ा कर 15 वर्ष की किया जाना प्रस्तावित है।

स्कूली शिक्षा में पढ़ाई का बोझ कम करने की बात की गई है। इस प्रस्तावित नीति की एक अहम बात है ज्ञान सीखने को सिर्फ पढ़ाई–लिखाई तक सीमित न रखकर उसे सह–शैक्षणिक और एक्सट्रा–करिक्यूलर गतिविधियों से भी जोड़ा जायेगा जैसे कला, संगीत, खेलकूद, योग, समाजसेवा, दस्तकारी आदि। स्कूली शिक्षा के लिये अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जिनका प्रशिक्षित होना जरूरी होता है। अब तक दो वर्षीय बी.एड. की डिग्री की जो बंदरबांट चल रही थी, उसे अब बंद कर दिया जायेगा। नामीगरामी विश्व विद्यालयों और कालेजों को ही चार वर्षीय बीएड कोर्स चलाने की अनुमति दी जायेगी।

नयी शिक्षा नीति के इस प्रारूप में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी भारी बदलावों की सिफारिश की गई है। अब उच्च शिक्षा में तीन तरह के संस्थान रहेंगे, एक जो विश्वस्तरीय शोधकार्यों में संलग्न है, दूसरे वे जो उच्चस्तरीय शिक्षण तथा अच्छे शोधकार्यों को चला रहे है और तीसरे वे जो सिर्फ

स्नातक स्तर पर अच्छी पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं। इन को आगे बढ़ानें के लिये मिशन नालंदा और मिशन तक्ष शिला के नाम से दो प्रोजेक्ट चलाये जायेंगे। बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे त्रिवर्षीय कार्यक्रम अब चार वर्षों के या तीन वर्षों के विकल्प के रूप में चलाए जायेंगे।

उच्च शिक्षा के नियमन और प्रबंध में भी बड़े व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित किये गये हैं। शैक्षणिक सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया जायेगा जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच तालमेल बैठाने का काम करेगा। इसी के साथ नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन का भी गठन किया जायेगा, जो कि पूरे देश की उच्च शिक्षा में शोध व अनुसंधान के लिये उचित माहौल पैदा करेगा।

जहां तक उच्चशिक्षा के नियमन का सवाल है पित्रोदा कमेटी एवं यशपाल कमेटी की तरह कस्तूरी रंगन कमेटी ने भी एक शीर्ष नियमन आयोग के गठन का सुझाव दिया है जिसका नाम राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक अधिकरण (एनएचईआरए) होगा। देश में उच्च शिक्षा के एक्रेडिटेशन का सारा काम नैक संस्था के द्वारा किया जायेगा, जो स्वयं भी पूर्नगठित की जायेगी। अलग–अलग विषयों में पेशेवर शिक्षा के स्तर तय करने के लिये स्तर निर्धारण संस्थाएं बनाई जायेंगी और यूजीसी के पास सिर्फ अनुदान देने काम बचा रह जायेगा। अब उसका नाम भी बदल कर उच्च शिक्षा अनुदान आयोग कर दिया जायेगा।

नई शिक्षा नीति के लिये कस्तूरी रंगन कमेटी का प्रारूप अनेक संभावनाओं से परिपूर्ण है किन्तु उसके साथ अनेक आशंकाएं भी जुड़ी हैं। क्या स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिये सुझाये गये व्यापक सुधारों को समय बद्ध ढंग से लागू करने के लिये हमारा सरकारी ढांचा समर्थ होगा? क्या इन सुधारों एंव शिक्षाविदों, उद्योग जगत और सिविल सोसायटी से वांछित सहयोग मिल पायेगा? क्या संघीय ढांचे के अन्तर्गत व्यापक सुधारों के लिये केन्द्र व राज्यों के बीच जरूरी सर्वोनुमति बन पायेगी? और सबसे अहम मुद्दा होगा कि अभी तक सकल राष्ट्रीय आय का सिर्फ 3 प्रतिशत से भी कम खर्च करने वाली व्यवस्था इन सुधारों पर इससे दूगना और तिगुना खर्च कर पायेगी?